न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जिला जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 397 / 2025
जीसीएमएस नं. :– 2025 / 570

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1.शांतिदेवी पत्नी नेमीचन्द 2.समुदेवी पत्नी चन्द्राराम जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण बोरूंदा तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर।		1. भूमि धारक एव रेकर्ड धारक तहसीलदार पीपाड़शहर तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित अधिवक्ता

1. अब्दुल सलीम खान–प्रार्थीगण की ओर से — दर्ज दिनांक :–23.9.2025
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर–अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांक :– 01/04/2026

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारीसुदा कृषि भूमि ग्राम बोरून्दा पटवार हल्का बोरून्दा भू.अभि.नि. बोरुन्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा मे जमाबंदी सर्वे आधार सम्वत 2081 के अनुसार खाता संख्या नया 1991 व खाता संख्या पुराना 2015 के खसरा संख्या 3907 रकबा 2.6450 हैक्टेयर किस्म बारानी राजस्व रेकर्ड के अनुसार दर्ज सुदा है। उक्त भूमि का पूर्व राजस्व रेकर्ड के अनुसार जमाबंदी अंतिम चौसला आधार सवंत् 2075–2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) के अनुसार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के खाता संख्या नया 2015 व खाता संख्या पुराना 1611 के खसरा संख्या 1624 रकबा 2.7182 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। वर्णित कृषि भूमि जमाबंदी सर्वे आधार सवंत 2081 के खसरा संख्या 3907 व पूर्व जमाबंदी संवत 2075–2078 के खसरा संख्या 1624 वास्तव मे एक ही खेत के खसरे है जो जमाबंदी पूर्व के खसरा संख्या 1624 के नया खसरा संख्या 3907 जमाबंदी सर्वे आधार 2081 के अनुसार बनाया गया है उपरोक्त खाते की भूमि को संयुक्त कृषि भूमि वादग्रस्त है। वर्णित खसरे सर्वे अनुसार नया नक्शा तैयार करवाते वक्त तकनीकी वजाओ से अथवा अप्रार्थी ही सहवंस भूलवंस से या कम्प्यूटर की तकनीकी भूल से उक्त खसरे की तरमीम वास्तविक प्रार्थीगण के कब्जे से खसरा संख्या 1624 के स्थान पर नये खसरा बनाकर मौके से अलग स्थान पर व रकबा भी तरमीम से

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

कम कर दिया जो खसरा संख्या 3907 की तरमीम कर दी गई है। उक्त दोनो खसरान की भूमि मौके पर कब्जा काश्त से अलग भूमि पर तरमीम कर अलग दिशा में तरमीम कर दी व पूर्व रेकर्ड के अनुसार रकबा भी कम कर दिया है। प्रार्थीगण का खेत मौके पर पूर्व अनुसार तरमीम नहीं हुई लिपीकीय त्रुटिवंस सर्वे व रिसर्वे राजस्व कर्मचारियो उक्त त्रुटि है जहां प्रार्थीगण काबिज है प्रार्थीगण पीढ़ियो से बने धोरे, पाली व कब्जा काश्त की भूमि हाल ही मे हुई नई तरमीम के कारण प्रार्थीगण को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि जो वर्तमान में मौके व पूर्व अनुसार है उसी अनुसार तरमीम की जावे प्रार्थीगण को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा तरमीम में विवाद होने के सम्भावना है वास्तविक रूप से तरमीम जो मौके पर उसी अनुसार, पूर्व रेकर्ड के अनुसार व मौके पर कब्जा चले अनुसार तरमीम की जाकर उपरोक्त लिपीकिय त्रुटी को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त लिपीकिय त्रुटि की जानकारी प्रार्थी दिनांक 17.09.2025 को ऑनलाईन जमाबंदी व नक्शा व राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने से हुई तो अशुद्धी को शुद्ध करने हेतु राजस्व कर्मचारियों व अप्रार्थी से मिले तो उन्होने न्यायालय के आदेश के बगैर नहीं कर सकते है, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जमाबंदी उसके एनआईसी भू नक्शा के अनुसार ही सम्पूर्ण रकबा की पूर्ण करते हुए मौके पर कब्जा अनुसार खसरे की तरमीम शुद्धी कर तरमीम खसरा संख्या 3907 के स्थान पूर्व राजस्व रेकर्ड एवं वास्तविक कब्जे अनुसार किया जाकर राजस्व नक्शा की जमाबंदी व नक्शे को राजस्व रेकर्ड नई को अशुद्धी को शुद्ध किये जाने के अप्रार्थी को सादर आदेश फरमावे।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को समन जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार ग्राम बोरून्दा की जमाबंदी सम्वत् 2081 खाता संख्या 1991 खसरा संख्या 3907 रकबा 2.6450 हैक्टेयर किस्म बारानी अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड हिस्सा पूर्ण सा. आहुरा सेन्टर अंधेरी ईस्ट महाराष्ट्र खातेदार है जिसके गत जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 खाता संख्या 2015 खसरा संख्या 1624 रकबा 2.7182 हैक्टेयर किस्म बारानी I शांतिदेवी पत्नी नेमीचंद 1/2, समूदेवी पत्नी चन्द्राराम 1/2, जातियान कुम्हार(प्रजापति) सा देह खातेदार दर्ज है। गत रकबा व वर्तमान रकबा में 0.0732 हैक्टेयर की कमी है। खसरा संख्या 3907 के पड़ौसी खसरान का गत व वर्तमान रकबा का तुलनात्मक विवरण निम्न अनुसार है:–

गत		वर्तमान	
खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में
1624	2.72	3907	2.65
1625	3.09	3908	3.09
1625/1	3.09	3909	3.09
1630	5.54	3882	6.02

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

तहसीलदार द्वारा पेश रिपोर्ट में वर्तमान नजरी नक्शा व गत नजरी नक्शा अनुसार नक्शे में भिन्नता है। नजरी नक्शे में बिन्दु ए से बी की चौड़ाई 3.80 मीटर है, बिन्दु सी डी ई की चौड़ाई 4.20 मीटर है, बिन्दु एफ से जी की चौड़ाई 2.93 मीटर है जिसे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने बहस पक्षकारान सुनी जिसमें वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराते हुए तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के पक्ष में तरमीम एवं खाता दुरूस्ती आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, पक्षकारान् बहस में बताये बिन्दुओं एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर के जवाब का अवलोकन एवं उस पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के सम्वत् 2075–78 के खसरा संख्या 1624 रकबा 2.7182 हैक्टेयर जिसका वर्तमान खसरा संख्या 3907 रकबा 2.6450 हैक्टेयर यानि 0.0732 हैक्टेयर रकबा कम हुआ है का खाता एवं नक्शा दुरूस्ती रिपोर्ट भू.अ./2026/677 दिनांक 12/02/2026 मय मौका रिपोर्ट अनुसार की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त जवाब भू.अ./2026/677 दिनांक 12/02/2026 मय मौका रिपोर्ट को आदेश का भाग समझा जावें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 01/04/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर